

महापौर परिषद की बैठक संपन्न हुई

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई के महापौर परिषद की बैठक वरिष्ठ पार्षद एवं एमआईसी सदस्य सीजू एन्थोनी की अध्यक्षता में आहूत की गई। जिसमें प्रमुख रूप से 3 बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ में ससत योजना के तहत नगरीय निकास ठोस अपशिष्ट, अन्य बायोमास से कम्प्रेस्ड बायोमास प्लांट स्थापना हेतु भूमि स्थानांतरण बाबत समिति के सामने विचारार्थ रखा गया था। जो शासन के आदेश 28.04.2023 अनुसार सीबीडीए छत्तीसगढ़ बायोपयूल डेवलपमेंट एजेंसी राज्य में नोडल एजेंसी है। जिसके माध्यम से सीबीजी प्लांट की स्थापना किया जाना है। उक्त प्रस्ताव को सलाहकार समिति के माध्यम से प्रस्तुत करने को कहा गया है। निगम क्षेत्र में स्थित उच्चस्तरीय जलागार में डबल वाल्व सिस्टम लगाने के लिए समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। जिसे समिति ने विशेष पर चर्चा करने के बाद पुनः निविदा आमंत्रित करने को कहा। तृतीय विषय नगर पालिक निगम भिलाई कार्यालय में आंन ग्रिड सोलर प्लांट स्थापना का कार्य करवाये जाने बाबत। जिसमें 100 किलो वाट एवं 50 किलो वाट सक्षता के आंन ग्रिड सोलर प्लांट स्थापना का कार्य तीन स्थलो पर स्थापित करने के लिए प्राकल्लन तैयार कर लाया गया था। जिसे सलाहकार समिति के माध्यम से प्रस्तुत करने को कहा गया। बैठक के दौरान एमआईसी सदस्यों द्वारा अन्य जन उपयोगी विषयों को आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय के समक्ष विचारार्थ रखे। जिसमें चर्चा की गई जिसमें प्रमुख रूप से नगर निगम भिलाई से संबंधित जितने भी उद्यान है एवं अन्य निगम के संपत्तियां है। उसको कभी-कभी असमाजिक तत्वों द्वारा छतिग्रस्त कर दिया जाता है। कुछ उद्यानों का ग्रिल एवं फैंसिंग तार चोरी हो जाता है। ऐसे कार्यों की जानकारी मिलने पर स्थल निरीक्षण करवाकर सत्यापित करवाकर एफआईआर दर्ज किया जावे। पुलिस विभाग उक्त संबंध में अपनी कार्यवाही करेगी। चोरी संबंधी प्रकरणों का निराकरण करना पुलिस का कार्य है। महापौर परिषद के बैठक में महापौर परिषद के सदस्य लक्ष्मीपति राजू, साकेत चंद्राकर, एकांश बंधोर, केशव चौबे, संदीप निरंकारी, लालचंद वर्मा, आदित्य सिंह, चंद्रशेखर गंवई, मन्नान गपफार खान, श्रीमती मालती ठाकुर, नेहा साहू एवं निगम आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय, उपायुक्त नरेन्द्र कुमार बंजारे, अधीक्षण अभियंता दीपक जोशी, जोन आयुक्त येशा लहरे, सतीश यादव आदि उपस्थित रहे।

